

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :-

जगदीश प्रसाद गौड़
आर.ए.एस.

अपील संख्या :- 30/2021

सुनिता पत्नी रोहिताश जाति नाई, निवासी भैसावता खुर्द, तहसील बुहाना, जिला झुंझुनू।

-अपीलांत

-बनाम-

राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार सिंघाना, तहसील बुहाना, जिला झुंझुनू।

-रेस्पोंडेंट

अपील खिलाफ निर्णय न्यायालय नायब तहसीलदार सिंघाना
उनवानी सरकार बनाम सुनिता, अं० धारा 91 एल०आर०एक्ट 1956
मु०न० 98/2017 निर्णय दिनांक 05.03.2018

उपस्थिति:-

- 1 .श्री विनोद गिल, एडवोकेट -----अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक -----रेस्पोंडेन्ट की ओर से।

-निर्णय-

दिनांक 31.03.2023

उक्त अपील विरुद्ध निर्णय दिनांक 05.03.2018 उनवानी प्रकरण सरकार बनाम सुनिता मु० नं० 98/2017 अ. धारा 91 एल. आर. एक्ट 1956 न्यायालय तहसीलदार नायब तहसीलदार सिंघाना के विरुद्ध पेश की गई। संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार अंकित किये गये हैं कि - अदालत मातहत ने अपीलांत को गलत तथ्यों के आधार पर धारा 91 भू राजस्व अधि० का नोटिस दिया है तथा हल्का पटवारी ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया है कि गोबर, कुरडी, बाड़ व पक्का मकानात बनाकर अपीलार्थीया सुनिता मय परिवार आबाद है। अपीलार्थीया के पास रिहायश का अन्य कोई भूखण्ड ग्राम भैसावता खुर्द में नहीं है तथा ना ही कोई काश्त की भूमि है। अपीलार्थीया के उक्त भूखण्ड में विधुत संबंध है तथा अपीलार्थीया के पक्ष में सनद/पट्टा ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया हुआ है जो दिनांक 31.3.1997 को जारी किया गया था। उक्त पट्टा पटवारी हल्का की रिपोर्ट के पश्चात जारी किया गया था, इसलिये अपीलार्थीया का प्रकरण अतिक्रमण की तारीफ में नहीं आता है। अपीलार्थीया सक्षम अधिकारी की अनुमति से आबाद है। उक्त पट्टा अपीलार्थीया के पति के नाम से जारी हुआ है। उक्त भूमि पर अपीलार्थीया पूर्वजों के समय से आबाद है तथा अपीलार्थीया के पास रिहायश का अन्य कोई भूखण्ड नहीं है। अपीलार्थीया के घर के पास सड़क बनी हुई है। अपीलार्थीया का प्रकरण

31/3
अतिरिक्त जिला कलक्टर
झुंझुनू



अतिक्रमण की तारीफ में नहीं आता है जहां कोई व्यक्ति पट्टे के आधार पर भूमि क्लेम करता है, उसको समरी कार्यवाही से बेदखल नहीं किया जा सकता है। राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक एफ/4/1 आर/एचसी/ग्राविप/अनुदान/91-92/53जयपुर दिनांक 23.1.1992 के तहत भूमिहीन व्यक्तियों को सनद/पट्टा राजकीय भूमि में जारी किये गये। अपीलार्थीया भूमिहीन व्यक्तियों की श्रेणी में आती है। उक्त परिपत्र के अनुसरण में अपीलार्थीया के पक्ष में नियमन की कार्यवाही करनी चाहिये थी। अंत में अपील पेश कर निवेदन किया कि अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर निर्णय अदालत मातहत नायब तहसीलदार सिंघाना दिनांक 05.03.2018 को निरस्त किया जाकर अपीलार्थी के विरुद्ध धारा 91 एलआरएक्ट की कार्यवाही ड्रॉप की जावे तथा परिपत्र के परिप्रेक्ष्य में अपीलार्थी के पक्ष में नियमन की कार्यवाही की जावे।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेन्ट को तारीख पेशी की सूचना नकल अपील के साथ भेजकर दी गई। मिसल मातहत तलब की गई। मिसल मातहत प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

दौराने बहस वकील अपीलार्थी ने अपील अंकित तथ्यों को दौहराते हुए बताया कि- हल्का पटवारी ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया है कि गोबर, कुरडी, बाड़ व पक्का मकानात बनाकर अपीलार्थीया सुनिता मय परिवार आबाद है। अपीलार्थीया के पास रिहायश का अन्य कोई भूखण्ड ग्राम भैसावता खुर्द में नहीं है तथा ना ही कोई काश्त की भूमि है। अपीलार्थीया के उक्त भूखण्ड में विधुत संबंध है तथा अपीलार्थीया के पक्ष में सनद/पट्टा ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया हुआ है जो दिनांक 31.3.1997 को जारी किया गया था। उक्त पट्टा पटवारी हल्का की रिपोर्ट के पश्चात जारी किया गया था, इसलिये अपीलार्थीया का प्रकरण अतिक्रमण की तारीफ में नहीं आता है। अपीलार्थीया सक्षम अधिकारी की अनुमति से आबाद है। उक्त पट्टा अपीलार्थीया के पति के नाम से जारी हुआ है। उक्त भूमि पर अपीलार्थीया पूर्वजों के समय से आबाद है तथा अपीलार्थीया के पास रिहायश का अन्य कोई भूखण्ड नहीं है। अपीलार्थीया के घर के पास सड़क बनी हुई है। अपीलार्थीया का प्रकरण अतिक्रमण की तारीफ में नहीं आता है जहां कोई व्यक्ति पट्टे के आधार पर भूमि क्लेम करता है, उसको समरी कार्यवाही से बेदखल नहीं किया जा सकता है। राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक एफ/4/1 आर/एचसी/ग्राविप/अनुदान/91-92/53जयपुर दिनांक 23.1.1992 के तहत भूमिहीन व्यक्तियों को सनद/पट्टा राजकीय भूमि में जारी किये गये। अपीलार्थीया भूमिहीन व्यक्तियों की श्रेणी में आती है। उक्त परिपत्र के अनुसरण में अपीलार्थीया के पक्ष में नियमन की कार्यवाही करनी चाहिये थी। अंत में अपील पेश कर निवेदन किया कि अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर निर्णय अदालत मातहत नायब तहसीलदार सिंघाना दिनांक 05.03.2018 को निरस्त किया जाकर अपीलार्थी के विरुद्ध धारा 91 एलआरएक्ट की कार्यवाही ड्रॉप की जावे तथा परिपत्र के परिप्रेक्ष्य में अपीलार्थी के पक्ष में नियमन की कार्यवाही की जावे।


दौराने बहस पैरोकार सरकार ने बताया कि अपीलाट्स द्वारा राजकीय भूमि पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार सिंघाना द्वारा विधिक प्रक्रिया के अन्तर्गत अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाकर

5/17
अतिरिक्त जिला न्यायाधीश
झुंझार


निर्णय पारित किया गया है। पारित निर्णय में कोई विधिक त्रुटि नहीं है, अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। हस्तगत प्रकरण में नायब तहसीलदार सिंघाना के निर्णय दिनांक 05.3.2018 की पालना में दिनांक 8.4.2022 को अपीलार्थीया सुनिता के आवास को छोड़ते हुये मौके से अतिक्रमण हटाया जा चुका है। विवादित भूमि की किस्म गै0मु0 जोहड़ है, जो नियमन योग्य नहीं है। ऐसी स्थिति मे प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये अपील अपीलांट स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार सिंघाना द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.03.2018 उनवानी सरकार बनाम सुनिता मु0नं0 98/2017 धारा 91 एल.आर.एक्ट यथावत रखा जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफतर हो।


(जगदीश प्रसाद गौड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

निर्णय आज दिनांक 31.03.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(जगदीश प्रसाद गौड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू